सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

*****

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी, 2006

पत्रकार कल्याण फंड का निर्माण तथा प्रशासन के लिए स्कीम

स्कीम का शीर्षक - इस स्कीम को " पत्रकार कल्याण फंड " कहा जाएगा ।

लागू होने की अवधि - यह स्कीम वित्तीय वर्ष 2001-02 से लागू होगी तथा बाद के वर्षों में भी लागू रहेगी ।

फंड का उद्देश्य - आवश्यकता के आधार पर निम्न को एकमुश्त अनुग्रह राहत प्रदान करना-

1. जिस पत्रकार की मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार के सदस्यों को, अथवा
2. अप्राकृतिक कारणों से तथा अपनी ड्यूटी के दौरान जो पत्रकार स्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं, जिसके कारण वह अपनी ड्यूटी करने में अक्षम हो जाते हैं ।
3. परिवार में एक मात्र कमाई करने वाले पत्रकार की असमय मृत्यु होने के कारण अत्यंत कठिनाई में जीने वाले मामले में भी इस फंड से मदद करने पर विचार किया जा सकता है ।

फंड का निर्माण तथा प्रशासन - यह फंड सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन निर्मित होगा तथा एक समिति द्वारा प्रशासित होगा, जिसमें निम्न व्यक्ति होंगे -

संरक्षक

मंत्री/राज्य मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

सचिव (सू0 एवं प्र0)	-	अध्यक्ष
अपर सचिव तथा वि0 सलाहकार	-	सदस्य
महानिदेशक (मी0 एवं सं0)	-	सदस्य
सं0 सचिव (पी0)	-	सदस्य
उप सचिव/निदेशक जो प्रेस से संबंधित कार्य करते हैं	-	सदस्य सचिव

फंड का संग्रह - यह फंड भारत सरकार से जरूरत के आधार पर प्राप्त अनुदान से स्थापित होगा । इस फंड में उपलब्ध राशि को भारत के लोक लेखा में "ब्याज प्राप्त करने वाले आरक्षित फंड" में रखा जाएगा ।

फंड की आय - इस फंड में व-र् के अंत में बची राशि पर 9% वार्-िक ब्याज देय होगा ।

फंड से भुगतान - भुगतान सिर्फ ब्याज से प्राप्त आमदनी में से किया जाएगा । वास्तविक मूलधन में से भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

फंड से सहायता प्राप्त करने की पात्रता - नीचे पारिभा-ित पत्रकार इस फंड से सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे, बशर्ते कि -

(क) वह भारत का/की नागरिक हों,
(ख) वह सामान्यतया भारत का/की निवासी हों,
(ग) वह भारत सरकार के मुख्यालयों में अथवा राज्य सरकार के मुख्यालयों (राजधानी) में प.सू.का. से प्रत्यायित हों ।

इस स्कीम में इस प्रयोजन के लिए एक पत्रकार का अर्थ श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 के अधीन पारिभा-ित श्रमजीवी पत्रकार से है तथा जो फील्ड ड्यूटी करते हैं ।

फंड से मंजूरी की प्रक्रिया - इस फंड से सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव महानिदेशक (मी. एवं सं.) द्वारा भेजा जाएगा जिसमें उनकी विशे-ा सिफारिश तथा समर्थक कागजात लगे होंगे ।

इस सिफारिश पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा तथा निर्णय लिया जाएगा । तथापि, अति आवश्यक मामले में, समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से निर्णय लिया जा सकता है तथा इसकी रिपोर्ट समिति की अगली बैठक में दी जाएगी ।

इस फंड के अधीन उपलब्ध सहायता - स्थायी अपंगता के शिकार अथवा मृतक के आश्रितों को 1 लाख रूपए की एकमुश्त अनुग्रह राहत दी जा सकती है ।

लेखा तथा लेखा परीक्षा - यह फंड गैर व्यपगत प्रकृति का होगा क्योंकि यह लेखा शे-ा पर बंद होता है । यह फंड मुख्य लेखा नियंत्रक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आंतरिक लेखा परीक्षा तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सांविधिक लेखा परीक्षा के अध्यधीन होगा ।

लेखा का अनुरक्षण

1. पत्रकार कल्याण फंड से आय और व्यय का लेखा अनुरक्षण सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के भुगतान एवं लेखा अधिकारी (मुख्य सचिवालय) द्वारा सही तरीके से किया जाएगा जिसमें प्रत्येक साल के लिए खाता शे-ा, उस पर प्राप्त राजस्व, संवितरण के लिए उपलब्ध राशि, संवितरित राशि तथा वित्तीय व-र् के अंत में अंतशे-ा दर्शाए गए हों ।

2. भुगतान वेतन एवं लेखा अधिकारी (मुख्य सचिवालय), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी चैक से आवेदक के नाम होगा, जो मृतक पत्रकार पर आश्रित व्यक्ति अथवा अस्थायी अपंगता के मामले में पत्रकार खुद होंगे ।

सामान्य राजस्व के साथ इस फंड का संबंध - इस फंड में समय-समय पर दिए गए अंशदान को भारत के लोक लेखा में " ब्याज प्राप्त करने वाले आरक्षित फंड " खंड के अंतर्गत सरकारी लेखा में रखा जाएगा । यह फंड मुख्य शीर्न " 8121- सामान्य तथा अन्य आरक्षित फंड " के अधीन वर्गीकृत होगा ।

सामान्यः- इस फंड से वित्तीय सहायता प्राप्त करना किसी श्रमजीवी पत्रकार का अधिकार नहीं होगा । इस फंड से सहायता तब ही दी जाएगी जब उस मामले की योग्यता/पात्रता से समिति संतुन्ट हो तथा इस उद्देश्य के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों । समिति को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार अथवा स्वीकार कर सकती है ।